भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1858

05 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गर्भवती महिलाओं को जेएसवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता

†1858. श्री नीरज डांगीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत प्रसव के दौरान लापरवाही (बरते जाने) के संबंध में सरकारी अस्पतालों को प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन घटनाओं में लिप्त डॉक्टरों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत प्रदान की गई नकद सहायता का ब्यौरा क्या है और विगत दो वर्षों के दौरान ऐसी सहायता प्राप्त करने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार प्रदान की जाने वाली सहायता धनराशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों को प्रसव के दौरान लापरवाही किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतें और इन घटनाओं में लिप्त डॉक्टरों व कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत क्रियान्वित जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) एक सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं सहित गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देता है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, जेएसवाई के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली नकद सहायता अर्हता मानदंडों सहित अनुलग्नक -II के अनुसार है। पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान ऐसी सहायता-प्राप्त करने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित कुल गर्भवती महिलाओं की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

दिनांक 05.08.2025 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1858 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक I

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों को प्रसव के दौरान लापरवाही किए जाने के संबंध में राज्य-वार प्राप्त शिकायतें और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई			
क्र.सं.	**राज्य**	**जेएसएसके के अंतर्गत शिकायत प्राप्त हुई**	**राज्य द्वारा की गई कार्रवाई**
1	असम	राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, व्यवहार और उपचार संबंधी मुद्दों पर उन्नीस शिकायतें प्राप्त हुईं।	सभी 19 शिकायतों का समाधान कर दिया गया।
2	हरियाणा	राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लापरवाही किए जाने के मुद्दे के संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुईं।	राज्य द्वारा गठित जांच समिति के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की गई।
3	मध्य प्रदेश	राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दमोह, जबलपुर, छतरपुर, नीमच, सीहोर, मंदसौर और भोपाल जिलों से मातृ मृत्यु और लापरवाही किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।	राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जांच की और उचित कार्रवाई की गई, जिसमें चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी करना, वेतन में कटौती और संबंधित कर्मचारियों की सेवा समाप्ति शामिल है।
4	महाराष्ट्र	राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कल्याण डोंबिवली नगर निगम से जेएसएसके के अंतर्गत प्रसव के दौरान लापरवाही किए जाने की एक शिकायत प्राप्त हुई है।	राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन, ठाणे के नेतृत्व में जांच की और इलाज करने वाले डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया।
5	मेघालय	राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एमसीएच अस्पताल, जोवाई के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है।	राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अनुवर्ती कार्रवाई के साथ जांच की।
6	पंजाब	राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों में सोलह शिकायतें प्राप्त हुईं।	राज्य स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार चार शिकायतों का समाधान कर दिया गया है तथा शेष पर कार्रवाई जारी है।
7	राजस्थान	राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रसव के दौरान लापरवाही किए जाने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई।	राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जांच की और सीसीए नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों को प्रसव के दौरान लापरवाही किए जाने के संबंध में राज्य-वार प्राप्त शिकायतें और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य	जेएसएसके के अंतर्गत शिकायत प्राप्त हुई	राज्य द्वारा की गई कार्रवाई
8	उत्तर प्रदेश	राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चित्रकूट जिले से प्रसव के दौरान लापरवाही किए जाने के संबंध में छह शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय (लखनऊ) में मातृ एवं नवजात शिशु की मृत्यु के संबंध में एक शिकायत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बिल्सी, जिला बदायूं में मातृ मृत्यु के संबंध में एक शिकायत तथा जिला महिला चिकित्सालय, कानपुर देहात में एक नवजात शिशु की मृत्यु के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई।	राज्य स्वास्थ्य विभाग ने समिति गठित की और चित्रकूट जिले के लिए की गई शिकायतें साबित नहीं हुईं। गठित समितियों की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई की गई जिसमें लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय, सीएचसी बिल्सी और जिला महिला चिकित्सालय, कानपुर देहात से स्थानांतरण और बर्खास्तगी भी शामिल है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि जेएसएसके के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों द्वारा प्रसव के दौरान लापरवाही किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।		

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी।

दिनांक 05.08.2025 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1858 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक -II

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत नकद सहायता और पात्रता मानदंड

श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र (रुपये में)	शहरी क्षेत्र (रुपये में)	अर्हता
संस्थागत प्रसव के लिए वित्तीय सहायता			
निम्न निष्पादन करने वाले राज्य (एलपीएस)*	1400	1000	सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में प्रसव के लिए सभी महिलाओं के लिए आयु और बच्चों की संख्या का ध्यान किए बिना उपलब्ध है।
उच्च निष्पादन करने वाले राज्य (एचपीएस)**	700	600	सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में प्रसव के लिए केवल बीपीएल/एससी/एसटी महिलाओं के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी आयु और बच्चों की संख्या कुछ भी हो।
होम डिलीवरी के लिए वित्तीय सहायता			
निम्न और उच्च निष्पादन वाले राज्य	500	500	केवल बीपीएल महिलाओं के लिए, जिन्होंने घर पर ही प्रसव को चुना है, (उम्र और बच्चों की संख्या का ध्यान किए बिना) उपलब्ध है।

* निम्न निष्पादन करने वाले राज्य (एलपीएस) वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें संस्थागत प्रसव दर कम है, जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

** उच्च निष्पादन करने वाले राज्य (एचपीएस) वे शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ संस्थागत प्रसव का स्तर संतोषजनक है।

दिनांक 05.08.2025 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1858 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक -III

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	226	220
2	आंध्र प्रदेश	2,54,588	2,16,235
3	अरुणाचल प्रदेश	17,847	15,422
4	असम	3,28,013	3,36,999
5	बिहार	13,70,438	12,97,892
6	चंडीगढ़	203	268
7	छत्तीसगढ	3,58,625	3,48,414
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	2,474	2,147
9	दिल्ली	3,648	5,200
10	गोवा	372	592
11	गुजरात	2,25,784	1,23,259
12	हरियाणा	31,587	36,666
13	हिमाचल प्रदेश	8,987	10,825
14	जम्मू एवं कश्मीर	63,536	1,43,783
15	झारखंड	4,79,039	4,56,708
16	कर्नाटक	4,02,122	3,37,030
17	केरल	49,884	61,447
18	लद्दाख	3,241	3,267
19	लक्षद्वीप	770	1,449
20	मध्य प्रदेश	10,16,205	9,28,552
21	महाराष्ट्र	3,70,408	3,47,926
22	मणिपुर	2,330	13,168
23	मेघालय	18,050	17,834
24	मिजोरम	13,491	6,144
25	नगालैंड	11,730	13,548
26	ओडिशा	4,21,699	3,75,315
27	पुदुचेरी	5,290	5,455
28	पंजाब	57,012	48,934
29	राजस्थान	10,40,390	9,08,678
30	सिक्किम	2,800	2,838
31	तमिलनाडु	3,07,030	4,04,083
32	तेलंगाना	2,85,608	2,44,466
33	त्रिपुरा	16,235	15,898
34	उत्तर प्रदेश	25,68,228	24,38,662
35	उत्तराखंड	78,828	69,326
36	पश्चिम बंगाल	4,38,261	3,76,675
कुल		1,02,54,979	96,15,325

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तिमाही रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े।

******